

प्रपत्र सं 0 22 (नियम 28 देखें)

## गाजियाबाद नगर निगम

तक सं 0 1033

रसीद सं 0 037

दिनांक 26-4-2023

Rebel Foods Pvt. Ltd. ने नगर निगम, गाजियाबाद को रू 0 1000/00

भुगतान कर दिया है अतः उसे Restaurant का व्यापार नगर निगम, गाजियाबाद

परिसीमा के अन्दर दिनांक 1-4-2023 से दिनांक 31-3-2024 तक करने की अनुमति दी जाती है।

### अनुज्ञप्ति धारक के सम्बन्ध में विवरण

नाम	पिता का नाम	पता	अन्य विवरण
<u>Arun Kumar</u>	<u>Sultan Singh</u>	<u>Shop No. 6</u> <u>109-108</u> <u>Rajendra Nagar</u> <u>Gz. B.</u>	<u>Restaurant</u>

अनुज्ञप्ति अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति के नियमों व उपनियमों के प्रतिबन्धों के अधीन एवं ..... के नियंत्रण में स्वीकार किया गया है।  
सकी एक प्रति मेरे द्वारा आज अनुज्ञप्ति धारक को दी गई है।

अनुज्ञप्ति अधिकारी

अनुज्ञप्तिधारक

ट:- यदि अनुज्ञप्ति सशर्त है तो उसमें स्थान तथा शर्तों का उल्लेख होगा। अनुज्ञप्ति साधारण प्रवर्ति की है तो उसमें शर्त आदि को रद्द समझा जायेगा।